भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †2595

दिनांक 04/08/2026 को उत्तरार्थ

आंध्र प्रदेश में पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान परियोजनाएं

†2595. डॉ. गुम्मा तनुजा रानीः

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत आर्थिक विकास और आय सृजन परियोजनाओं की गैर-स्वीकृति के कारणों की समीक्षा की है और यदि हों, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को उक्त योजना के तहत आंध्र प्रदेश से ग्रामीण आजीविका, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण या स्व-सहायता समूह आधारित आर्थिक विकास परियोजनाओं के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ग) "स्थानीय स्वशासन" होने के नाते पंचायत राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का भाग है। तद्नुसार, पंचायतों की क्षमता को मजबूत बनाना मुख्य रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी है। हालाँकि, मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2022-23 से संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) नामक केंद्र-प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को सहयोग देना

है। इसके तहत निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को उनकी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ग्राम पंचायतें प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें।

आरजीएसए के तहत, अभिनव और आर्थिक विकास एवं आय में वृद्धि उन घटकों में से एक है जिसमें आर्थिक विकास और आय बढ़ाने वाली छोटी परियोजनाओं के लिए ग्राम पंचायतों/ ग्राम पंचायतों के समूह को वित्तपोषित किया जा रहा है। संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों को सौंपे गए विषयों से जुड़ी छोटी परियोजनाओं हेतु व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वायबिलिटी गैप फंडिंग) के रूप में वित्तीय सहायता, प्रस्ताव की योग्यता और इसकी व्यवहार्यता एवं स्थिरता के आधार पर दी जाती है।

वित्त वर्ष **2025-26** के दौरान, आंध्र प्रदेश राज्य ने आरजीएसए के अभिनव और आर्थिक विकास एवं आय में वृद्धि घटक के तहत ग्रामीण आजीविका, पारिस्थितिकी पर्यटन (इको-टूरिज्म) और स्वयं-सहायता समूहों पर केंद्रित **9** परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं। इनमें से मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश राज्य के लिए **16.50** करोड़ रुपये की लागत वाली **4** परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। शेष **5** परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए सीमित समय उपलब्ध होने के कारण स्थगित कर दिया है। इन परियोजनाओं का विवरण **अनुलग्नक- I** में देखा जा सकता है।

अनुलग्नक-I

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या †2595 जिसका उत्तर दिनांक 04/08/2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान संशोधित आरजीएसए के तहत आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा प्रस्तुत की गई अभिनव और आर्थिक विकास तथा आय बढ़ाने वाली परियोजनाओं का विवरण।

क्र. सं.	**परियोजना का नाम**	**उद्देश्य**	**प्रस्तावित लागत (करोड़ रुपये में)**	**समिति का निर्णय**
1.	अराकू – कैम्पिंग और कारवां विलेज (**नवाचार**)	बांस से निर्मित एक शानदार कैंपस, जिसमें रहने की जगह, प्रोसेसिंग ज़ोन, वेलनेस पॉड्स, ट्रेल्स, कैफ़े और वर्कशॉप शामिल हों।	5.00	**₹5.00 करोड़ रुपये** की राशि के साथ इसकी सिफारिश की गई और चूँकि यह आय सृजित करने वाली परियोजना है, इसलिए इसे **आर्थिक विकास और आय बढ़ाने वाले घटक** के तहत स्थानांतरित कर दिया गया।
2.	कुचिपुड़ी – हैरिटेज विलेज (**नवाचार**)	i. कुचिपुड़ी गाँव की सांस्कृतिक विरासत को बचाना और उसे बढ़ावा देना ii. स्थानीय निवासियों के लिए स्थायी आजीविका के अवसर सृजित करना iii. अवसंरचना और आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाना	3.00	**₹3.00 करोड़ रुपये** की राशि के साथ इसकी **सिफारिश** की गई और स्वरूप में एक आय सृजन परियोजना होने के कारण इसे **आर्थिक विकास और आय बढ़ाने वाले घटक** के तहत स्थानांतरित कर दिया गया।
3.	एटिकोप्पाका – टॉय विलेज (**नवाचार**)	i. पारंपरिक एटिकोप्पाका खिलौना बनाने की कला को सुरक्षित रखना ii. पर्यटकों की संख्या और बाज़ार तक पहुँच बढ़ाने के लिए पर्यटन से जुड़ी बुनियादी सुविधाएँ विकसित	3.00	**₹3.00 करोड़** की राशि के साथ इसकी **सिफारिश** की गई और चूँकि यह आय सृजित करने वाली परियोजना है, इसलिए इसे **आर्थिक विकास और आय**

		करना; iii. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार सृजित करना, विशेषकर महिलाओं और युवाओं के लिए;		**बढ़ाने वाले घटक** के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया।
4.	आंध्र प्रदेश के ग्रामीण घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तरीकों के संबंध में व्यवहार में बदलाव लाने के लिए ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना (**नवाचार**)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए 60 लाख परिवारों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 6000 सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) की समर्पित टीम तैनात की जाएगी	6.00	₹5.50 करोड़ रुपये की सिफारिश इस शर्त के साथ की गई है कि राज्य की वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित 5500 सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (CRPs) को ध्यान में रखा जाए।
5.	अराकू – क्राफ्ट विलेज (**नवाचार**)	i. मौजूदा 60 दुकानों की संरचनाओं को 30 कार्यात्मक रिटेल स्थानों में बदलना। ii. एक शिल्प बाज़ार को स्थापित करना।	3.50	समिति ने प्रस्ताव पर विचार किया और निर्णय लिया कि समय की सीमित उपलब्धता के कारण इस स्तर पर इस पर विचार नहीं किया जा सकता है।
6.	गंडिकोटा – लेमन विलेज (**नवाचार**)	i. पर्यटकों के लिए ज़रूरी सुविधाएँ विकसित करना, ii. स्थानीय खेती को बढ़ावा देना और मार्केट प्लाज़ा, लेमन एक्सपीरियंस सेंटर तथा इलेक्ट्रिक और सोलर बगियों की स्थापना के ज़रिए रोज़गार के अवसर सृजित करना।	3.00	समिति ने प्रस्ताव की समीक्षा की और इस वित्तीय वर्ष के भीतर गतिविधि को पूरा करने के लिए समय की कमी को देखते हुए इसे स्थगित करने का निर्णय लिया।
7.	मारेडुमिली – बैंम्बू विलेज (**नवाचार**)	i. आंध्र बांस अभिनव केंद्र की स्थापना ii. आवास, प्रसंस्करण क्षेत्र, वेलनेस पॉड्स, ट्रेल्स, कैफे और कार्यशालाओं सहित एक प्रतिष्ठित बांस-निर्मित परिसर की स्थापना	3.00	समिति ने प्रस्ताव की समीक्षा की और इस वित्तीय वर्ष के भीतर गतिविधि को पूरा करने के लिए समय की कमी को देखते हुए इसे स्थगित करने का निर्णय लिया।

8.	लेपाक्षी – सिल्क विलेज (**नवाचार**)	i. इंटरैक्टिव प्रदर्शनियों के साथ एक सूचना केंद्र की स्थापना। ii. हस्त-कला गतिविधियों के साथ एक सिल्क एक्सपीरियंस सेंटर तैयार करना।	3.00	समिति ने प्रस्ताव की समीक्षा की और इस वित्तीय वर्ष के भीतर गतिविधि को पूरा करने के लिए समय की कमी को देखते हुए इसे स्थगित करने का निर्णय लिया।
9.	उप्पाडा – वीवर्स विलेज (**नवाचार**)	i. स्थानीय कारीगरों के लिए 'वीवर्स स्ट्रीट' का विकास। ii. एक अद्वितीय तटीय अनुभव के लिए लिए 'फ्लाइंग डेक' का निर्माण।	3.00	समिति ने प्रस्ताव की समीक्षा की और इस वित्तीय वर्ष के भीतर गतिविधि को पूरा करने के लिए समय की कमी को देखते हुए इसे स्थगित करने का निर्णय लिया।
